

07/05/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. जलवायु परिवर्तन पर आधा-अधूरा फैसला (7 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)
2. भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में नए स्तर पर पहुंचना (7 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)
3. कार्बन फार्मिंग क्या है? (7 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)
4. चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के पीछे के विज्ञान को समझना (7 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)

जलवायु परिवर्तन पर आधा-अधूरा फैसला (7 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)

एमके रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने भारत के प्रस्तावित ऊर्जा परिवर्तन के कई समस्याग्रस्त पहलुओं पर गौर नहीं किया है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जीवन और समानता के संवैधानिक अधिकारों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार तक विस्तारित करना**, निराशाजनक पारिस्थितिक परिदृश्य के बीच आशा की एक संभावित किरण है।
- दुनिया मानव और शेष जीवन पर ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व प्रभाव डालने वाले कई पतनों की ओर देख रही है, क्योंकि हम औसत तापमान में 1.5 डिग्री (और कौन जानता है कि इससे कितना अधिक) सेल्सियस की वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।
- दुनिया भर की सरकारें इस परिदृश्य के व्यापक वैज्ञानिक प्रमाणों पर कार्रवाई करने में विफल रही हैं।
- इस निर्णय में ऐसी कार्रवाई में बदलने की महत्वपूर्ण क्षमता है जो जलवायु संकट के दुष्प्रभावों को कम कर सकती है, कम कर सकती है या अनुकूलन में मदद कर सकती है। **समाज के पहले से ही हाशिए**

पर पड़े वर्गों द्वारा महसूस किए गए प्रभावों के अनुपातहीन हिस्से के बारे में न्यायालय की टिप्पणियां, बहुत जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई का आधार बन सकती हैं।

फैसले में खामियां

- लेकिन फैसले में गहरी खामियां भी हैं जो ऐसी क्षमता को कमजोर कर सकती हैं। हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संबंध में इसके आदेशों पर ध्यान नहीं देंगे, जिसके निवास स्थान को पश्चिमी भारत में मेगा-ऊर्जा द्वारा खतरा है। याचिका का मुख्य मामला था. यहां, हम बिजली और जलवायु पहलुओं से निपटते हैं। न्यायालय का कहना है कि 2021 में पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इनमें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों द्वारा 500 गीगावाट का उत्पादन और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा शामिल है। फैसले में कहा गया है कि इनमें किसी भी तरह की रुकावट से कोयला आधारित उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके जलवायु पर गंभीर परिणाम होंगे।
- न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि (और हवाई क्षेत्र) की आवश्यकता को बस्टर्ड की सुरक्षा की अनिवार्यता के साथ संतुलित करने का प्रयास किया है। हालांकि, ऐसा करते हुए, इसने भारत के प्रस्तावित ऊर्जा परिवर्तन के कई समस्याग्रस्त पहलुओं की जांच नहीं की है।
- एक बात यह है कि सरकार 'गैर-जीवाश्म ईंधन' और 'नवीकरणीय' ऊर्जा में बड़े जलविद्युत और परमाणु संयंत्रों को शामिल करती है। इनमें कुछ भी अच्छा नहीं है। हिमालय में बड़े बांधों के निर्माण से अस्थिरता, जैव विविधता का नुकसान और समुदायों का विस्थापन हुआ है। परमाणु ऊर्जा के कारण जबरन विस्थापन, लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती हुई है क्योंकि यह गोपनीयता में लिपटा हुआ है और अनुपचारित परमाणु कचरे से सदियों तक संदूषण का डर है।
- दूसरा, मेगा-सोलर और पवन परियोजनाओं का भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में विशाल पावगड़ा सोलर पार्क ने चरागाह और कृषि भूमि को छीन लिया है, और वन्यजीवों को नष्ट कर दिया है। लद्दाख के चांगथांग में, प्रस्तावित 13 गीगावाट सौर परियोजना 20,000 एकड़ से अधिक नाजूक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगी, जो अद्वितीय वन्यजीवों और खानाबदोश चरवाहों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध पश्मीना ऊन का उत्पादन करते हैं।
- छारी ढांड संरक्षण रिजर्व के बगल में 1,400 एकड़ में प्रस्तावित एक और परियोजना, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के साथ-साथ मालधारी चरवाहों की आजीविका को भी नष्ट कर सकती है। दुर्भाग्य से, ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बाहर रखा गया है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और निकासी प्रक्रियाएं, इसलिए उनके प्रभावों का आकलन भी नहीं किया जाता है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन

- विकासात्मक परियोजनाएँ उदा. बुनियादी ढांचे, राजमार्ग, रेलवे, खनन, जलविद्युत परियोजनाएँ आदि का हवा, पानी और मिट्टी पर प्रभाव पड़ना तय है।
- वे मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं।
- ईआईए प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रभावों तक पहुँचने के लिए एक निर्णय लेने वाला उपकरण है।
- यह पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं की मदद से उन प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है।
- ईआईए सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित है जहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन या ईआईए वह प्रक्रिया या अध्ययन है जो

- प्रस्तावित औद्योगिक/बुनियादी ढांचागत परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव की भविष्यवाणी करता है।
- प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना को उचित निरीक्षण के बिना या प्रतिकूल परिणामों को ध्यान में रखे बिना अनुमोदित होने से रोकता है
- एक परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है और
- उस एक की पहचान करना चाहता है जो आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों और लाभों के सर्वोत्तम संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है।
- **नियामक प्राधिकरणों द्वारा** गहन जांच और स्कोपिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
- इसके बाद ईआईए रिपोर्ट का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए भेजा जाता है।
- मौजूदा 2006 कानून के तहत परियोजनाओं को श्रेणी ए और बी में वर्गीकृत किया गया है।
- श्रेणी ए की सभी परियोजनाओं को ईआईए की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- श्रेणी बी परियोजनाओं को उनके दायरे और संभावित प्रभाव के आधार पर आगे बी1 और बी2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- केवल बी2 के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को इस जटिल प्रक्रिया से छूट दी गई है।

चरण:

- स्क्रीनिंग
- देखते हुए
- सार्वजनिक सुनवाई
- मूल्यांकन

स्क्रीनिंग:

- परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
- **श्रेणी ए:**
- इसमें जलविद्युत परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- ऐसी सभी परियोजनाओं को केन्द्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- यह प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है।
- **श्रेणी बी:**
- इसमें छोटी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- उदाहरणार्थ, चमड़े के कारखाने, रासायनिक कारखाने, आदि।
- श्रेणी बी को आगे **बी1 और बी2 में विभाजित किया गया है।**
- बी1 परियोजनाओं के लिए ईआईए अध्ययन अनिवार्य है।
- बी2 के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को ईआईए अध्ययन से छूट दी गई है।
- सभी श्रेणी बी परियोजनाएं राज्य ईआईए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हैं।
- यह प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है।
- स्क्रीनिंग केवल श्रेणी बी परियोजनाओं के लिए आवश्यक है।

स्कोपिंग:

- प्रस्तावित परियोजना के लिए विस्तृत संदर्भ अवधि निर्धारित की गई है।
- ईआईए अध्ययन का दायरा निर्धारित किया गया है।
- **टीओआर) के आधार पर , एक प्रारंभिक अध्ययन आयोजित किया जाएगा और एक ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।**
- **यह रिपोर्ट तीसरे पक्ष के ईआईए सलाहकार द्वारा तैयार की जाएगी।**
- तृतीय-पक्ष ईआईए सलाहकार को परियोजना डेवलपर द्वारा भुगतान किया जाता है।
- ये **ईआईए सलाहकार** इस कार्य को करने के लिए प्रमाणित हैं।
- प्रमाणीकरण MoEFCC द्वारा है।

सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई:

- ईआईए रिपोर्ट पर एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है जो परियोजना डेवलपर की ओर से सलाहकार द्वारा तैयार की जाती है।
- यहां परियोजना से प्रभावित स्थानीय समुदायों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।
- सार्वजनिक परामर्श के स्थान और समय का विज्ञापन जिला प्रशासन द्वारा दिया जाता है।
- यह सार्वजनिक सुनवाई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/या संघ राज्य क्षेत्र के मामले में सीपीसीबी की देखरेख में आयोजित की जाती है।
- सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें भाग लेने वाले लोगों की लिखित राय शामिल है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम समीक्षा के लिए ली जाती है।
- कुछ परियोजनाओं को सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई है।

मूल्यांकन:

- इसमें सार्वजनिक सुनवाई के सभी दस्तावेजों के साथ-साथ ईआईए रिपोर्ट की समीक्षा का भी उल्लेख है।
- ईएसी के अनुमोदन के आधार पर परियोजना को या तो स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जाता है।
- जब परियोजना को मंजूरी मिल जाती है, तो परियोजना मंजूरी के 2 साल के भीतर शुरू हो जाएगी।
- अन्यथा, अनुमोदन रद्द कर दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी।

ईआईए अधिनियम का तुलनात्मक विश्लेषण:

विवरण	ईआईए 1994	ईआईए 2006	ईआईए 2020
सार्वजनिक परामर्श की अवधि	तीस दिन	45 दिन	40 दिन
निगरानी अवधि	6 महीने	6 महीने	वार्षिक
पर्यावरण मंजूरी	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने का दायित्व केंद्र सरकार पर है।	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर है।	पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर है।
पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया	स्क्रीनिंग सार्वजनिक सुनवाई एनओसी प्राप्त करना मूल्यांकन सिफारिशों	स्क्रीनिंग देखते हुए सार्वजनिक सुनवाई मूल्यांकन	श्रेणी ए और बी1 और श्रेणी 2 परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया अलग है।
अपील का प्रावधान	लागू नहीं	लागू नहीं	एनजीटी में अपील की जा सकती है

ईआईए से जुड़े मुद्दे/समस्याएं/चुनौतियां:

चुनौतियां	समाधान
ईआईए रिपोर्ट बहुत ही तकनीकी रिपोर्ट है और इसे आम लोगों के लिए समझना कठिन है।	स्थानीय समुदायों की समझ के लिए एक व्यापक ईआईए रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में तैयार की जानी चाहिए।
परियोजना डेवलपर-ईआईए सलाहकार संबंध	जांच और संतुलन होना चाहिए। कदाचार में संलिप्त ईआईए परामर्शदाताओं को काली सूची में डाला जा सकता है।
लंबी प्रक्रिया (संपूर्ण कार्य पूरा होने में 6 से 8 महीने)	सार्वजनिक सुनवाई और अन्य समय लेने वाली प्रक्रियाओं के लिए कम समय।

नौकरशाही विलंब (लालफीताशाही)	आईसीटी का उपयोग मददगार साबित हो सकता है।
मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदारी का अभाव	मूल्यांकन प्रक्रिया में एनजीओ/सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों जैसे सभी हितधारकों को शामिल करना।
अनुसूची 1 में परियोजनाओं को छूट	सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं की जांच की जानी चाहिए तथा ऐसी सभी परियोजनाओं को, जिनके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता है, अनुसूची 1 में जोड़ा जाना चाहिए।
समीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव	ईएसी सदस्यों की पात्रता एवं अर्हता निर्धारित की जाएगी।

- तीसरा, नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश के बावजूद, सरकार कोयले में निवेश कम नहीं कर रही है।
- देश के कुछ सर्वाधिक जैव विविधता वाले और सामाजिक रूप से संवेदनशील (स्वदेशी/आदिवासी) क्षेत्रों सहित नए कोयला खनन ब्लॉकों को हरी झंडी दी जा रही है।

मालधारी पशुपालक: झुंड के संरक्षक

मालधारी चरवाहों का एक अनूठा समुदाय है जो मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, भारत में पाया जाता है। आधिकारिक स्रोतों के आधार पर उनके जीवन की एक झलक यहाँ दी गई है:



जीवन शैली:

- पारंपरिक रूप से खानाबदोश या अर्ध-खानाबदोश
- भेड़, बकरी, भैंस और ऊँट के झुंड के साथ प्रवास करते हैं
- अपने जानवरों और पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए
- पशुपालन और पशु चिकित्सा पद्धतियों में कुशल
- पत्तों और मिट्टी से बने अस्थायी आश्रयों में रहें

चुनौतियाँ:

- शहरीकरण और कृषि के कारण चरागाह भूमि पर अतिक्रमण
- जलवायु परिवर्तन पारंपरिक प्रवास मार्गों और पानी व चारे की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है
- सामाजिक हाशिए पर होना तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव

सरकारी पहल:

- पशु चिकित्सा देखभाल और चारा सुरक्षा प्रदान करने की योजनाएं
- वैकल्पिक चरागाह मार्ग और चारागाह भूमि स्थापित करने के प्रयास
- मालधारियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम

- इनमें से कई मामलों में सरकारी एजेंसियों ने कॉरपोरेट संस्थाओं को, विशेषकर नई दिल्ली के सत्ता गलियारों के सबसे निकट स्थित संस्थाओं को, पर्यावरण कानूनों को दरकिनार करने में सक्षम बनाया है।

विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए था

- न्यायालय द्वारा इस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार कर लेने से, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को मौलिक मानव अधिकार मानने के उसके अपने दावे को कमजोर कर दिया गया है।
- इस तरह के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, उसे इन मेगा-प्रोजेक्ट्स के विकल्पों की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, छत और अन्य विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अकेले 600 गीगावाट से अधिक बिजली मिल सकती है।
- न्यायालय ने स्वयं कहा: "विकेंद्रीकृत और वितरित सौर अनुप्रयोगों ने भारतीय गांवों में लाखों लोगों को पर्याप्त लाभ पहुंचाया है, जिससे उनकी खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था और अन्य ऊर्जा जरूरतों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से संबोधित किया गया है।"
- यदि समानता के लिए संविधान के प्रावधानों को पूरा किया जाना है, तो ये मेगा-परियोजनाओं की तुलना में कहीं अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।
- न्यायालय यह भी प्रश्न पूछ सकता था कि उत्पादित ऊर्जा का कितना हिस्सा अकुशल संचरण और उपयोग (उदाहरण के लिए, रसोई और अन्य उपकरण), और विलासिता की खपत में बर्बाद हो जाता है।
- भारत की ऊर्जा योजनाओं में मांग प्रबंधन का अभाव चौंकाने वाला है; यह किसी भी मांग की तरह उचित है। हमें यह भी पूछने की जरूरत है: बिजली के पुनर्वितरण की क्या संभावना है, अमीरों द्वारा विलासितापूर्ण उपभोग से लेकर गरीब तबकों तक, जिन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है, जिससे इतनी नई बिजली का उत्पादन करने की आवश्यकता से बचा जा सके?
- अन्य देशों के जलवायु-संबंधी निर्णयों और कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौतों का हवाला देते हुए, जिनमें भारत भी एक पक्ष है, न्यायालय ने बढ़ते न्यायशास्त्र और प्रकृति के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं जैसे अन्य को नजरअंदाज कर दिया है। विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते पृथ्वी न्यायशास्त्र आंदोलनों में से एक, अब इसे 30 से अधिक देशों में कानूनी मान्यता प्राप्त है।
- यह जलवायु कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जहां प्रकृति और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके आवासों की रक्षा के लिए स्वदेशी लोगों और अन्य स्थानीय समुदायों का नेतृत्व किया जाता है। भारत में, 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना के अधिकारों की मान्यता (उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि आदेश लागू नहीं किया जा सकता था), यह भी जलवायु-हानिकारक कार्यों के खिलाफ एक संभावित बचाव है बड़े बांधों और अन्य बड़ी परियोजनाओं के रूप में।

- मानवाधिकारों (जिनमें से कुछ को न्यायालय उद्धृत करता है) और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर वैश्विक संधियों के अनुपालन के लिए जीवाश्म-ईंधन स्रोतों के साथ-साथ मेगा-नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के महत्वपूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।
- न्यायालय अभी भी अपने द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अधिदेश में इन पहलुओं को जोड़कर निर्णय की सकारात्मक संभावनाओं का विस्तार कर सकता है : **क्या उत्पादन (या पहले से उपलब्ध क्षमता के अपव्यय और विलासिता उपभोग में कमी के माध्यम से प्राप्त करना) के वैकल्पिक, कम हानिकारक तरीके (विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा सहित) मौजूद हैं** राजस्थान और गुजरात में मेगा-परियोजनाओं द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली, या उसी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए गैर-विद्युत साधन।

भारतीय मॉडल की समस्या

- जलवायु अधिकारों का वास्तव में क्या अर्थ होना चाहिए, इसके बारे में भी व्यापक मुद्दे हैं। **भारत का विकास मॉडल, जो बड़े पैमाने पर मेगा-औद्योगिक, ढांचागत और निष्कर्षण परियोजनाओं पर केंद्रित है, जो वनों की कटाई और समुदायों के विस्थापन का कारण बनता है, मौलिक रूप से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।**
- जब सरकार एक बुनियादी ढांचा परियोजना का प्रस्ताव करती है जो 130 बर्ग किलोमीटर प्राचीन वर्षावनों को नष्ट कर देगी और ग्रेट निकोबार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा कर लेगी, तो यह स्पष्ट रूप से न्यायालय के फैसले की इस भक्ति का उल्लंघन करती है: **“निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी आबादी लगातार नेतृत्व कर रही है।”** पारंपरिक जीवन जो देश या दुनिया के किसी भी हिस्से से असंबद्ध और अलग है। स्वदेशी समुदाय अक्सर पारंपरिक जीवन जीते हैं... उनकी भूमि और जंगलों के विनाश या उनके घरों से उनके विस्थापन के परिणामस्वरूप **उनकी अनूठी संस्कृति का स्थायी नुकसान हो सकता है।**
- यदि न्यायालय को ऐसी टिप्पणियों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना है, और जलवायु को मौलिक अधिकार घोषित करने की सकारात्मक क्षमता हासिल करनी है, तो उसे सरकार को ऐसी परियोजनाओं की फिर से जांच करने का निर्देश देना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो निर्णय वास्तविक स्थिरता और न्याय की दिशा में कुछ मूलभूत बदलावों के लिए आधार प्रदान करेगा। यदि नहीं, तो इसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पारिस्थितिक रूप से त्रुटिपूर्ण, अलोकतांत्रिक और सामाजिक रूप से विघटनकारी मार्ग को ही मजबूत किया है जिसे भारत सरकार बढ़ावा दे रही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न : विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया में शामिल चरणों का वर्णन करें। प्रत्येक चरण पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने में कैसे योगदान देता है? (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) की संक्षिप्त व्याख्या के साथ उत्तर का परिचय दें।
- फिर विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रक्रिया में शामिल चरणों को सामने लाएँ।
- **पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक भागीदारी में ईआईए के योगदान को आगे बढ़ाएं।**
- संक्षेप करके निष्कर्ष निकालें।

उत्तर

ईआईए एक निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में कार्य करता है जो प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर औद्योगिक या ढांचागत परियोजनाओं के प्रभावों की भविष्यवाणी करना है, जिससे उचित निरीक्षण या प्रतिकूल परिणामों पर विचार किए बिना उनकी मंजूरी को रोका जा सके। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकासात्मक परियोजनाएं जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से शुरू की जाएं।

1. स्क्रीनिंग:

- **उद्देश्य:** प्रारंभिक चरण में परियोजनाओं को उनके आकार और संभावित प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करना शामिल है।
- **श्रेणियाँ:** परियोजनाओं को श्रेणी ए और श्रेणी बी में विभाजित किया गया है, तथा आगे इन्हें बी1 और बी2 में विभाजित किया गया है।
- **मूल्यांकन:** श्रेणी ए परियोजनाएं, जैसे जल विद्युत परियोजनाएं, केंद्रीय ईआईए प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य ईआईए से गुजरती हैं, जबकि श्रेणी बी परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य ईआईए प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
- **प्रभाव:** यह सुनिश्चित करता है कि सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की गहन पर्यावरणीय जांच की जाए, ताकि पर्यावरण पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।

2. स्कोपिंग:

- प्रस्तावित परियोजना के लिए विस्तृत संदर्भ अवधि निर्धारित की गई है।
- ईआईए अध्ययन का दायरा संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के आधार पर निर्धारित किया जाता है, एक प्रारंभिक अध्ययन किया जाएगा और एक ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- यह रिपोर्ट एक तृतीय पक्ष ईआईए सलाहकार द्वारा तैयार की जाएगी।
- तृतीय-पक्ष ईआईए सलाहकार को परियोजना डेवलपर द्वारा भुगतान किया जाता है।
- ये ईआईए सलाहकार इस कार्य को करने के लिए प्रमाणित हैं और प्रमाणीकरण MoEFCC द्वारा है।

3. सार्वजनिक परामर्श/सार्वजनिक सुनवाई:

- इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों और हितधारकों को शामिल करना शामिल है।
- यह प्रभावित समुदायों को ईआईए रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करने और प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करता है।
- यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए नियामक अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया जाता है।
- यह सार्वजनिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।

4. मूल्यांकन:

- इसमें ईआईए रिपोर्ट और सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समीक्षा और मूल्यांकन शामिल है।
- विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ (ईएसी) पर्यावरणीय प्रभावों और प्रस्तावित शमन उपायों की पर्याप्तता का आकलन करती हैं।
- ईएसी की सिफारिशों के आधार पर, परियोजनाओं को या तो स्वीकृत किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, या संशोधन की आवश्यकता होती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाओं का मूल्यांकन उनके पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक गुणों के आधार पर किया जाए, सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए और प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए।

पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी में योगदान:

- ईआईए प्रक्रिया संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान करती है और शमन उपायों का प्रस्ताव करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि परियोजनाएं पर्यावरणीय नियमों और मानकों का पालन करती हैं।
- सार्वजनिक परामर्श और सुनवाई के माध्यम से, प्रभावित समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी आवाज उठाने का मौका मिलता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

इस प्रकार, विकासात्मक परियोजनाओं के लिए ईआईए प्रक्रिया संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करके, हितधारकों को शामिल करके और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में एक नए स्तर पर पहुंचना (7 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)

भारत में गेमिंग उद्योग के भविष्य को आकार देने की काफी संभावनाएं हैं

- प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को एक अग्रणी वैश्विक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करना है।
- उन्होंने गेमिंग उद्योग की गति और चुनौतियों को समझने के लिए अप्रैल 2024 में सात शीर्ष गेमर्स के साथ एक दिन बिताया।
- चर्चा कौशल गेमिंग को जुए से अलग करने पर केंद्रित थी एक अनुकूल विनियामक वातावरण स्थापित करना।
- ऑनलाइन गेमिंग डिजिटल इंडिया पहल का अभिन्न अंग है, इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
- मुख्य बातों में भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित खेलों की क्षमता, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और भारत में करियर के रूप में गेमिंग की धारणाओं को संबोधित करना शामिल है।

तेजी से विकास

- भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने FY20 और FY23 के बीच 28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ तेजी से विकास का अनुभव किया है।
- वित्त वर्ष 2028 तक 15% सीएजीआर बनाए रखते हुए ₹33,243 करोड़ की वृद्धि होगी।
- यह क्षेत्र महत्वपूर्ण विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- भारत की आईटी क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, गेमिंग उद्योग देश के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है।
- 2021 में वैश्विक गेमिंग उद्योग का राजस्व \$300 बिलियन से अधिक होने के बावजूद, भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग राजस्व में केवल 1.1% का योगदान देता है, जो विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश का संकेत देता है।
- ऑनलाइन गेमिंग भारतीय स्टार्टअप के लिए अरबों डॉलर का अवसर प्रस्तुत करता है और 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है।

- सकारात्मक घटनाक्रमों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करना शामिल है।
- आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जैसे विनियमों की शुरुआत और जीत पर स्रोत पर कर कटौती पर स्पष्टीकरण ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप के लिए स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है।
- ये उपाय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में युवा भारतीयों द्वारा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं।

मुद्दे जिनकी जांच की आवश्यकता है

- 2021 के आईटी नियमों के अंतर्गत स्व-नियामक निकायों की उपस्थिति के बावजूद, उनका प्रभावी कार्यान्वयन लंबित है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने पर उनका इच्छित प्रभाव कम हो रहा है।
- नवाचार और तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उद्योग में स्व-नियामक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नीति आयोग के चर्चा पत्र ने ऑनलाइन फंतासी गेमिंग क्षेत्र के लिए एक स्व-नियामक मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें सबसे आगे एक स्व-नियामक संगठन होगा।
- कराधान में हाल के संशोधनों ने उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि **वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28% कर की दर लगाने का फैसला किया है।** 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी।
- इससे पहले, जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत के बाद से भारत में ऑनलाइन गेमिंग फर्मों पर 18% जीएसटी दर लागू थी।
- **हालांकि उच्च कर दर ने शुरु में सरकार के लिए कर राजस्व को बढ़ावा दिया है, लेकिन यह लंबी अवधि में उद्योग के लिए स्थिरता संबंधी चिंताएं पैदा करता है और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रभावित कर सकता है।**

नम्र शक्ति

- **भारत के पास उद्योग में मौजूदा कमियों को दूर करके एक अग्रणी वैश्विक गेमिंग केंद्र बनने का अवसर है।**
- कहानियों, किंवदंतियों और लोककथाओं सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाकर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को **भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित खेलों की ओर आकर्षित किया जा सकता है।**
- गेमिंग उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं।
- चूंकि गेमिंग को एक कैरियर विकल्प के रूप में देखने की धारणा बदल रही है, इसलिए भारत गेमिंग परिदृश्य में नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बढ़ती संख्या से लाभान्वित हो सकता है।
- भारत गेमिंग उद्योग में एक परिवर्तनकारी युग के कगार पर है, और **कौशल गेमिंग के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर और सांस्कृतिक आख्यानों का लाभ उठाकर**, यह 1 ट्रिलियन डॉलर की

डिजिटल अर्थव्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकता है और वैश्विक गेमिंग के भविष्य को आकार दे सकता है।

बात करने का समय: तमिलनाडु, केरल और मुल्लापेरियार बांध विवाद पर (7 मई)

तमिलनाडु, केरल को बांध सुरक्षा पर चर्चा करनी चाहिए; कानूनी सहारा अंतिम उपाय होना चाहिए

- मुल्लापेरियार बांध समस्या को लेकर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
- पिछले अदालत के फैसले के बावजूद 142 फीट तक जल भंडारण की अनुमति देने के बावजूद, तमिलनाडु और केरल के बीच मुद्दे अनसुलझे हैं।
- तमिलनाडु ने अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए केरल पर बांध पर आवश्यक रखरखाव कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया।
- बांध सुरक्षा के मुद्दे पर समितियों के गठन के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है।
- तमिलनाडु चाहता है कि 30 दिसंबर 2026 तक व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन पूरा हो जाए।
- न्यायिक हस्तक्षेप के कारण, केरल की आपत्तियों के बावजूद, बाढ़ के दौरान बांध संचालन के लिए नियम अपनाए गए।
- बांध के निकट एक मेगा कार पार्किंग परियोजना के केरल के प्रस्ताव पर भी विवाद है।
- दोनों राज्यों को कानूनी कार्रवाई की परवाह किए बिना लंबित मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करने की आवश्यकता है।
- दोनों राज्यों के राजनीतिक नेताओं को तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए मतभेदों को सक्रियता से दूर करना चाहिए।
- राज्यों के बीच बातचीत से एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद मिल सकती है तथा निहित स्वार्थों के कारण स्थिति को और खराब होने से रोका जा सकता है।

द्विन टावर्स: चीन, भारत और बैडमिंटन पर (7 मई)

बैडमिंटन में पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में चीन का दबदबा रहा

- चेंगदू में आयोजित बैडमिंटन में थॉमस और उबेर कप दोनों खिताब चीन ने जीते।
- यह चीन द्वारा दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल करने का प्रतीक है, पहली बार 2012 में।
- पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इंडोनेशिया उपविजेता रहा।
- चीन की जीत उन्हें पेरिस ओलंपिक के प्रबल दावेदार के रूप में खड़ा करती है।
- हाल ही में प्रदर्शन में गिरावट के बाद पुरुषों की जीत चीन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- चीन के शी यू क्यूई ने टीम की सफलता में योगदान देते हुए अपने सभी छह एकल मैच जीते।
- महिला वर्ग में, चीन ने 2022 में दक्षिण कोरिया से हार के बाद वापसी करते हुए शानदार जीत हासिल की।

- भारत का प्रदर्शन मिश्रित रहा, थॉमस कप ओलंपिक से पहले मूल्यांकन के रूप में काम कर रहा था।
- सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी को हाई-प्रोफाइल विरोधियों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जबकि एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन को उल्लेखनीय जीत मिली।
- भारत की युवा महिला टीम ने चीन और जापान से हार के बावजूद बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया।
- अनमोल खरब, इशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और अश्विनी चालिहा जैसे खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से लाभ हुआ, जिससे भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए उनके कौशल में वृद्धि हुई।

कार्बन खेती क्या है? (7 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)

कार्बन खेती के अंतर्गत ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकती हैं? ऐसी तकनीकों को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों में? कुछ वैश्विक पहल क्या हैं?

- कार्बन एक आवश्यक तत्व है जो सभी जीवित जीवों और कई खनिजों में पाया जाता है।
- यह पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और कार्बन चक्र सहित विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- फाइबर, ईंधन या अन्य संसाधनों के लिए पशुधन पालना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- कार्बन खेती में कृषि पद्धतियों को पुनर्गठित करने के साथ जोड़ा जाता है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
- यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कृषि परिदृश्य में कार्बन भंडारण को बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है।
- कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अपना आसान है और इससे मृदा क्षरण, जल की कमी और जलवायु परिवर्तनशीलता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।

कार्बन खेती कैसे मददगार हो सकती है?

- चक्रीय चराई कार्बन खेती का एक सरल रूप है जिसमें पशुओं को विभिन्न चरागाह क्षेत्रों के बीच ले जाया जाता है।
- अन्य कार्बन कृषि पद्धतियों में कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कृषि-पारिस्थितिकी, पशुधन प्रबंधन और भूमि पुनर्स्थापन शामिल हैं।
- सिल्वोपेस्टर और गली फसल जैसी कृषि वानिकी प्रथाएँ इसमें कार्बन को अलग करने और कृषि आय में विविधता लाने के लिए फसलों या चरागाह के साथ पेड़ और झाड़ियाँ लगाना शामिल है।
- संरक्षण कृषि तकनीकें जैसे कि शून्य जुताई, फसल चक्र, कवर फसल और फसल अवशेष प्रबंधन, मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और मिट्टी में कार्बनिक सामग्री को बढ़ाने में मदद करती हैं।
- एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में मृदा उर्वरता को बढ़ावा देने और उत्सर्जन को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों और कम्पोस्ट का उपयोग करना शामिल है।
- फसल विविधीकरण और अंतरफसल जैसे कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन में योगदान करते हैं।

- पशुधन प्रबंधन रणनीतियाँ जैसे घूर्णी चराई, फ्रीड गुणवत्ता का अनुकूलन और पशु अपशिष्ट का प्रबंधन मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकता है और चारागाह भूमि में कार्बन भंडारण बढ़ा सकता है।

कार्बन खेती की चुनौतियाँ क्या हैं?

- कार्बन खेती की प्रभावशीलता भौगोलिक स्थिति, मिट्टी के प्रकार, फसल चयन, पानी की उपलब्धता, जैव विविधता और खेत के आकार जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।
- क्षेत्र कार्बन खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि वे वनस्पति विकास के माध्यम से कार्बन पृथक्करण के लिए इष्टतम स्थिति प्रदान करते हैं।
- पर्याप्त वर्षा और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषिवानिकी और संरक्षण कृषि जैसी प्रथाएं विशेष रूप से प्रभावी हो सकती हैं।
- सीमित जल उपलब्धता वाले गर्म और शुष्क क्षेत्रों में कार्बन खेती चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जहां पीने और कपड़े धोने की जरूरतों के लिए पानी को प्राथमिकता दी जाती है।
- सीमित जल उपलब्धता पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकती है तथा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन अवशोषण की क्षमता को सीमित कर सकती है।
- कुछ कार्बन कृषि पद्धतियां, जैसे कवर क्रॉपिंग, अतिरिक्त जल मांग के कारण शुष्क वातावरण में व्यवहार्य नहीं हो सकती हैं।
- पौधों की प्रजातियों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रजातियां समान रूप से कार्बन को अवशोषित और संग्रहीत नहीं कर पाती हैं। तेजी से बढ़ने वाले पेड़ और गहरी जड़ वाली बारहमासी घास आमतौर पर कार्बन अवशोषण में बेहतर होती हैं।
- किसानों के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, कार्बन कृषि पद्धतियों के क्रियान्वयन से जुड़ी लागतों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक हो सकती है।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति के रूप में कार्बन खेती की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

दुनिया भर में कुछ कार्बन खेती योजनाएं क्या हैं ?

- कृषि में कार्बन व्यापार ने विश्व स्तर पर महत्व प्राप्त कर लिया है, विशेष रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में, जहां स्वैच्छिक कार्बन बाजार उभरे हैं।
- शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज और ऑस्ट्रेलिया में कार्बन फार्मिंग इनिशिएटिव जैसी पहल का उद्देश्य कृषि में कार्बन शमन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बिना जुताई की खेती और पुनर्वनीकरण जैसी प्रथाएं कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से प्रचारित गतिविधियों के उदाहरण हैं।
- विश्व बैंक द्वारा समर्थित केन्या की कृषि कार्बन परियोजना, आर्थिक रूप से विकासशील देशों में जलवायु शमन, अनुकूलन और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कार्बन खेती की क्षमता को प्रदर्शित करती है।
- पहल , ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कार्बन सिंक की भूमिका पर जोर देती है।
- लगभग 390 बिलियन टन के शेष कार्बन बजट का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि महासागर और वायुमंडल कार्बन के साथ अपने संतुष्टि बिंदु पर पहुंच रहे हैं।

भारत में क्या अवसर हैं?

- जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन अधिक गंभीर होता जा रहा है, जलवायु प्रभावों के प्रति लचीली तथा उत्सर्जन को कम करने वाली कृषि पद्धतियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती जा रही हैं।
- भारत में जमीनी स्तर पर की गई पहल और शोध से पता चलता है कि जैविक खेती कार्बन को प्रभावी ढंग से संग्रहित कर सकती है, जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है।
- कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं में लगभग 170 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि से 63 बिलियन डॉलर का मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता है।
- टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रति एकड़ लगभग 5,000-6,000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्राप्त हो सकता है।
- सिंधु-गंगा के मैदान और दक्कन के पठार जैसे क्षेत्र कार्बन खेती के लिए उपयुक्त हैं, जबकि हिमालयी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- कार्बन क्रेडिट प्रणाली पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय प्रदान करके किसानों को प्रोत्साहित कर सकती है।
- कृषि मृदा में 20-30 वर्षों तक प्रतिवर्ष 3-8 बिलियन टन CO₂-समतुल्य अवशोषित करने की क्षमता होती है, जो जलवायु स्थिरीकरण में योगदान देती है।
- कार्बन खेती को बढ़ाने के लिए सीमित जागरूकता, अपर्याप्त नीति समर्थन, तकनीकी बाधाएं और एक सक्षम अपनाने वाला वातावरण बनाने जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
- भारत में कार्बन खेती को बढ़ावा देने से जलवायु परिवर्तन को कम करने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता को बढ़ाने और किसानों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है।

चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग के पीछे के विज्ञान को समझना (7 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)

एमआरआई स्कैन का उपयोग शरीर के भीतर कोमल ऊतकों की छवियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक गैर-आक्रामक निदान प्रक्रिया है जिसका व्यापक रूप से मस्तिष्क, हृदय प्रणाली, रीढ़ की हड्डी और जोड़ों, विभिन्न मांसपेशियों, यकृत, धमनियों आदि की छवि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

- चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) एक गैर-आक्रामक चिकित्सा इमेजिंग तकनीक है जिसका उपयोग मानव शरीर के अंदर देखने के लिए किया जाता है।
- एमआरआई से जुड़ी तकनीकें 1970 के दशक की शुरुआत में विकसित की गईं।
- पॉल लॉटरबर और पीटर मैन्सफील्ड ने 1970 के दशक के अंत में इन तकनीकों को और परिष्कृत किया, जिससे वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बन गईं।
- एमआरआई में उनके योगदान ने उन्हें 2003 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिलाया।
- एमआरआई आधुनिक चिकित्सा निदान में एक अनिवार्य उपकरण बन गया है, जो सर्जरी की आवश्यकता के बिना आंतरिक शरीर संरचनाओं की विस्तृत इमेजिंग की अनुमति देता है।

चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग क्या है?

- चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) एक नैदानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर में कोमल ऊतकों की छवियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

- नरम ऊतक वे होते हैं जो कैल्सीफिकेशन के कारण कठोर नहीं हुए हैं।
- एमआरआई गैर-आक्रामक है और मस्तिष्क, हृदय प्रणाली, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों, यकृत और धमनियों सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों की छवि के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- यह प्रोस्टेट और रेक्टल कैंसर जैसे कुछ कैंसर के निदान और उपचार में और अल्जाइमर, मनोभ्रंश, मिर्गी और स्ट्रोक जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों पर नज़र रखने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- शोधकर्ता मस्तिष्क की गतिविधि को समझने के लिए रक्त प्रवाह में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एमआरआई का भी उपयोग करते हैं, इस विधि को कार्यात्मक एमआरआई के रूप में जाना जाता है।
- हालाँकि, छर्रे या पेसमेकर जैसी एम्बेडेड धातु की वस्तुओं या प्रत्यारोपण वाले व्यक्ति, उपयोग किए गए मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों के कारण एमआरआई स्कैन से गुजरने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- यहां तक कि एमआरआई के दौरान जब में चुंबकीय पट्टी वाला क्रेडिट कार्ड रखने पर भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह साफ हो सकता है।

एमआरआई कैसे काम करता है?

- एमआरआई प्रक्रिया शरीर के अंगों में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का उपयोग करके उनके चित्र बनाती है।
- हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है।
- ये परमाणु वसा और पानी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर में पाए जाते हैं।
- एमआरआई मशीन में चार आवश्यक घटक होते हैं, जो एक विशाल डोनट के समान दिखते हैं।
- केंद्रीय छेद, जिसे बोर कहा जाता है, वह स्थान है जहां स्कैन किए जाने वाले व्यक्ति को डाला जाता है।
- डोनट के अंदर एक शक्तिशाली अतिचालक चुम्बक होता है जो शरीर के चारों ओर एक मजबूत और स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
- जब स्कैन किए जाने वाले शरीर के अंग को बोर के केंद्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय हो जाता है।
- चुंबकीय क्षेत्र शरीर के अंग में हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पिन अक्षों को अपनी दिशा के अनुरूप संरेखित करता है।
- परमाणुओं की एक छोटी आबादी बेजोड़ रह सकती है, जो अलग-अलग दिशाओं की ओर इशारा करती है।
- एक उपकरण स्कैन किए गए क्षेत्र में रेडियो आवृत्ति स्पंद उत्सर्जित करता है, जिससे अतिरिक्त परमाणु विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं।
- जब स्पंदन समाप्त हो जाता है, तो ये परमाणु अवशोषित ऊर्जा को छोड़ देते हैं और अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं।
- अतिरिक्त परमाणुओं द्वारा अवशोषित स्पंद की आवृत्ति को लार्मोर आवृत्ति कहा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और ऊतक के प्रकार द्वारा निर्धारित होती है।
- एक डिटेक्टर उत्सर्जित संकेतों को प्राप्त करता है और उन्हें कंप्यूटर को भेजता है, जो शरीर के अंग की दो- या तीन-आयामी छवियों का पुनर्निर्माण करता है।

एमआरआई के क्या लाभ हैं?

- एमआरआई मशीन में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय होने के बाद, तीन छोटे चुंबक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो मुख्य क्षेत्र से लगभग 80 गुना कमजोर होता है।
- इन छोटे क्षेत्रों में ढाल होते हैं, अर्थात वे एक समान नहीं होते, जिससे स्कैन किए जाने वाले शरीर के विशिष्ट भागों को उजागर करने में मदद मिलती है।
- ग्रेडिएंट चुंबकों को विशिष्ट क्रम में चालू और बंद करके, एमआरआई मशीन कुछ मिलीमीटर चौड़ाई वाले संकीर्ण भागों को भी स्कैन कर सकती है, तथा इसके लिए व्यक्ति को मशीन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती।
- यह मशीन शरीर के विभिन्न भागों को स्कैन कर सकती है, इसके लिए स्कैन किए जाने वाले व्यक्ति को अपना स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं होती।
- मशीन के डिज़ाइन और चुंबक संगठन के कारण एमआरआई स्कैन व्यावहारिक रूप से विभिन्न उपयोगी दिशाओं से और बहुत कम वृद्धि में शरीर की छवि ले सकता है।
- जब अतिरिक्त परमाणु अवशोषित ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं

एमआरआई के नुकसान क्या हैं?

- एमआरआई मशीनें महंगी हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और इमेजिंग गुणवत्ता जैसी विशिष्टताओं के आधार पर कुछ दसियों लाख से लेकर कई करोड़ तक होती हैं।
- डायग्नोस्टिक सुविधाएं इन लागतों को मरीजों पर डालती हैं, जिससे एमआरआई स्कैन महंगा हो जाता है, जिसकी कीमत अक्सर 10,000 रुपये या उससे अधिक होती है।
- मरीजों को कई एमआरआई स्कैन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा, खासकर बिना बीमा वाले लोगों पर।
- एमआरआई स्कैन के दौरान मरीजों को स्थिर रहना चाहिए, जो दसियों मिनट तक चल सकता है। कोई भी हलचल छवि को विकृत कर सकती है और दोबारा स्कैन की आवश्यकता पड़ सकती है।
- क्लॉस्ट्रोफोबिक व्यक्तियों को एमआरआई मशीन का सीमित स्थान असुविधाजनक लग सकता है, हालांकि कुछ "ओपन-बोर" एमआरआई डिज़ाइन इस समस्या को कम कर सकते हैं।
- एमआरआई मशीनें तरल हीलियम से ठंडा किए गए सुपरकंडक्टिंग वायर कॉइल का उपयोग करके कम से कम 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं।
- सुपरकंडक्टिंग सेटअप का रखरखाव ऊर्जा-गहन और महंगा है।
- मशीन के भीतर, विशेष रूप से ग्रेडिएंट कॉइल्स में भारी धाराओं के स्विचिंग से ऑपरेशन के दौरान तेज आवाजें पैदा होती हैं, जो मरीजों के लिए असुविधाजनक हो सकती हैं।

एमआरआई (चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग): अंगों, कोमल ऊतकों, हड्डियों और यहां तक कि जैव रासायनिक गतिविधि की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है।



एमआरआई



सीटी स्कैन

- **सीटी स्कैन (कंप्यूटेड टोमोग्राफी):** विभिन्न कोणों से कई छवियों को कैप्चर करने के लिए एक्स-रे का उपयोग करता है। फिर इन छवियों को आपके शरीर का एक विस्तृत क्रॉस-सेक्शनल दृश्य बनाने के लिए संयोजित किया जाता है।

अनुप्रयोग:

- **एमआरआई:** अक्सर मांसपेशियों, स्नायुबंधन, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जैसे कोमल ऊतकों की जांच के लिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। यह कुछ कैंसर और रक्त प्रवाह में असामान्यताओं का भी पता लगा सकता है।
- **सीटी स्कैन :** हड्डियों, रक्त वाहिकाओं, आंतरिक चोटों और कुछ संक्रमणों को देखने के लिए उपयुक्त है। यह तेज़ भी है और उन रोगियों के लिए बेहतर हो सकता है जो क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं या जिनमें धातु के प्रत्यारोपण हैं जो एमआरआई स्कैन में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

सुरक्षा के मनन:

- **एमआरआई:** आम तौर पर इसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन मजबूत चुंबकीय क्षेत्र कुछ चिकित्सा प्रत्यारोपण या क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- **सीटी स्कैन :** इसमें आयनकारी विकिरण के संपर्क में आना शामिल है, जिससे कैंसर का थोड़ा जोखिम होता है। हालाँकि, अधिकांश डायग्नोस्टिक स्कैन के लिए जोखिम को आम तौर पर कम माना जाता है।

यहां मुख्य अंतरों को सारांशित करने वाली एक तालिका दी गई है:

विशेषता	एमआरआई	सीटी स्कैन
तकनीकी	चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगें	एक्स-रे
के लिए सबसे अच्छा	कोमल ऊतक, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी	हड्डियां, रक्त वाहिकाएं, आंतरिक चोटें
सुरक्षा के मनन	चुंबकीय क्षेत्र, क्लॉस्ट्रोफोबिया	विकिरण जोखिम (कम जोखिम)
रफ़्तार	और धीमा	और तेज

जीएसटी के गरीब हितैषी कदम से लोगों को मदद मिली है (7 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)

वित्त मंत्री सीतारमण का दावा है कि साबुन सहित कई आवश्यक वस्तुओं पर कर-जीएसटी युग से पहले की तुलना में कम है; हाल ही में ₹2 लाख करोड़ से अधिक के ऐतिहासिक सकल जीएसटी संग्रह का श्रेय 'बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि' को दिया जाता है

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका दृष्टिकोण गरीब-समर्थक है।
- उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में सकल जीएसटी राजस्व ₹2 लाख करोड़ से अधिक होने का श्रेय बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों को दिया जाता है।
- सीतारमण ने कहा कि प्रभावी भारत औसत जीएसटी दर 2017 से लगातार कम हुई है।
- जीएसटी ने पूर्व-जीएसटी दरों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं पर करों को कम कर दिया है, जैसे कि बाल तेल और साबुन, जिस पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, और बिजली के उपकरणों, जिन पर पिछले 31.5% के बजाय 12% कर लगाया गया था।
- जीएसटी व्यवस्था के तहत मूवी टिकटों पर भी कम कर लगाया गया।
- हालाँकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि प्री-जीएसटी दरों की गणना कैसे की जाती थी।
- सीतारमण ने उल्लेख किया कि जीएसटी व्यवस्था के तहत 2017 से युक्तिकरण के प्रयास जारी हैं।
- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियां कम करों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
- **जीएसटी ने कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी है**, जिनमें गैर-ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, सैनिटरी नैपकिन, श्रवण सहायता पार्ट्स और कृषि सेवाएं शामिल हैं।
- उन्होंने कहा कि जीएसटी का विचार पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
- सीतारमण ने जीएसटी के सफल कार्यान्वयन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में आवश्यक सहमति बनी।
- जीएसटी से पहले, भारत में एक खंडित और जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी, जिसमें प्रत्येक राज्य अलग-अलग नियमों और कर दरों के साथ एक अलग बाजार के रूप में कार्य करता था।

पिछली कर प्रणाली की जटिलता के कारण व्यवसायों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए इनपुट प्राप्त करना कठिन हो गया था, जिससे आम लोगों पर कर का बोझ बढ़ गया था।

भारतीय विज्ञान की धर्मनिरपेक्षता (7 मई)

भारत में विज्ञान ऐतिहासिक रूप से देश की विविध धार्मिकता के प्रति अनुकूल रहा है

- पिछले महीने, सूर्य की एक किरण ने भारतीय समाज में विज्ञान और धर्म की भूमिका के संबंध में एक बहस छेड़ दी।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सचिव अभय करंदीकर ने 17 अप्रैल (राम नवमी) को एक्स पर एक पोस्ट साझा किया।
- अयोध्या में राम मंदिर में 'सूर्य तिलक' परियोजना में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया।
- 'सूर्य तिलक' में राम लला के माथे पर सूर्य की किरण को सटीक रूप से केंद्रित करना शामिल था।
- आईआईए, जो आकाशीय पिंडों से प्रकाश प्राप्त करने के लिए दर्पण और लेंस डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, ने इस उद्देश्य के लिए लेंस और दर्पण की एक प्रणाली डिजाइन करने में मदद की।
- इस प्रणाली ने सूर्य के प्रकाश को वांछित स्थान पर सटीकता से गिराने में हेरफेर किया।
- आईआईए की गणना में प्रत्येक वर्ष रामनवमी की अलग-अलग तिथियों को भी शामिल किया गया है, जो चंद्र-सौर कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिससे 'सूर्य तिलक' के लिए सटीक सरिखण सुनिश्चित होता है।

प्राथमिक आपत्तियाँ

- कुछ वैज्ञानिक एक धार्मिक समारोह में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के शामिल होने को लेकर चिंतित थे।
- उन्होंने अग्रणी खगोल भौतिकीविदों और खगोलविदों की भागीदारी की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि 'सूर्य तिलक' प्रणाली को डिजाइन करने का काम कॉलेज स्तर के छात्रों द्वारा किया जा सकता था।
- गहरी चिंता यह थी कि एक धार्मिक आयोजन में एक वैज्ञानिक संस्थान, आईआईए की भागीदारी, 'वैज्ञानिक स्वभाव' के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता के विपरीत थी।
- 'वैज्ञानिक स्वभाव' से तात्पर्य तर्कसंगत जांच और साक्ष्य-आधारित सोच के प्रति प्रतिबद्धता से है, जिसका समर्थन राजा राम मोहन राय और बाद में सतीश धवन और अब्दुर रहमान जैसे वैज्ञानिकों ने किया।
- यह सिद्धांत सार्वजनिक चर्चा में विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है जब विज्ञान धार्मिक प्रथाओं के साथ जुड़ जाता है।
- हालिया विवाद ने यह उजागर कर दिया है कि अयोध्या परियोजना में आईआईए ही एकमात्र वैज्ञानिक संस्था नहीं थी, बल्कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) ने भी अहम भूमिका निभाई थी।
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत सीबीआरआई ने मंदिर की संरचनात्मक अखंडता से संबंधित पहलुओं को संभाला और 'सूर्य तिलक' प्रणाली की स्थापना की।
- दिलचस्प बात यह है कि सीबीआरआई की भागीदारी के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, जिससे विज्ञान और धर्म के बीच कथित संघर्ष के बारे में सवाल उठे।
- ऐतिहासिक रूप से शिल्पकला और इंजीनियरिंग को धर्म से स्वतंत्र माना जाता रहा है, जैसा कि प्राचीन मंदिरों की नवीन डिजाइन प्रथाओं में देखा जा सकता है।

एक अनुकूल संस्करण

- खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण को अक्सर यूरोपीय 'वैज्ञानिक क्रांति' से जोड़ा जाता है, जिसने भू-केन्द्रवाद जैसी रोमन कैथोलिक हठधर्मिता को चुनौती दी थी।

- भारत में ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ विविध धार्मिक विश्वासों को भी स्थान दिया गया है।
- इसका एक उदाहरण खगोल वैज्ञानिक मेघनाद साहा के नेतृत्व में गठित कैलेंडर सुधार समिति है, जिसका उद्देश्य 1956 में भारत के स्थानीय कैलेंडर को आधुनिक बनाना था।
- भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर इसी समिति का एक उत्पाद था, जिसने विसंगतियों को ठीक किया और भारतीय मानक समय को परिभाषित किया।
- कानून द्वारा लागू होने के बावजूद भारतीय मानक समय को ही व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- कैलेंडर का उद्देश्य समय-पालन के तरीकों को आधुनिक बनाते हुए भारतीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना था।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक विभाग, पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर (पीएसी), खगोलविदों और ज्योतिषियों की सहायता के लिए सार्वजनिक छुट्टियों, त्योहार की तारीखों और खगोलीय स्थितियों को सूचीबद्ध करने वाले वार्षिक दस्तावेज जारी करता है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने पारंपरिक वैज्ञानिक विषयों से परे अनुसंधान को वित्त पोषित किया है, जिसमें सत्यम और पंचगव्य पर वैज्ञानिक सत्यापन और अनुसंधान जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
- सत्यम योग और ध्यान से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, जबकि पंचगव्य परियोजना गाय उत्पादों के औषधीय गुणों की जांच करती है।
- भारतीय विज्ञान, जब धर्म के साथ संघर्ष में होता है, तो चर्च और राज्य के यूरोपीय अलगाव की तुलना में अधिक संयमित दृष्टिकोण अपनाता है।

भारत एक अपरिहार्य रणनीतिक साझेदार: ऑस्ट्रेलियाई दूत (7 मई)

ग्रीन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और सीमा विवाद तेज हो रहे हैं।

- भारत में ऑस्ट्रेलियाई दूत फिलिप ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर भरोसा जताया।
- ग्रीन ने सामयिक चुनौतियों के अस्तित्व को स्वीकार किया लेकिन रणनीतिक, आर्थिक और लोगों से लोगों की भागीदारी की समग्र ताकत पर जोर दिया।
- पूछे जाने पर उन्होंने "खुफिया मामलों" पर टिप्पणी करने से परहेज किया।
- ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अतीत में भारतीय जासूसी गतिविधियों की रिपोर्टों के जवाब में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा पर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करने के लिए भारतीय 'जासूसों' को निष्कासित कर दिया गया था।
- वोंग का बयान विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के संकल्प को इंगित करता है।

सामरिक संतुलन

- भारत में ऑस्ट्रेलियाई दूत श्री ग्रीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- उन्होंने रक्षा के अलावा आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में भारत के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
- श्री ग्रीन ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में बोलते हुए व्यापार विविधीकरण प्रयासों में एक प्रमुख साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया।
- ऑस्ट्रेलिया की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (एनडीएस) 2024 ने भारत को "शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार" के रूप में नामित किया, जो दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।
- एनडीएस भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता में योगदान देने के लिए भारत के साथ व्यावहारिक सहयोग को प्राथमिकता देता है।
- श्री ग्रीन ने पिछले पांच वर्षों में शीर्ष स्तरीय साझेदार के रूप में भारत की तीव्र उन्नति का उल्लेख किया तथा क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में इसके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती महाशक्ति प्रतिस्पर्धा और बढ़ते सीमा विवादों की ओर इशारा किया, जिसमें चीन बिना पारदर्शिता के महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण कर रहा है।

चीनी हथियार बढ़ रहे हैं

- श्री ग्रीन ने चीन के क्षेत्रीय विवादों और उसके प्रबंधन दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, एक ऐसे क्षेत्र की इच्छा व्यक्त की जहां छोटे राज्य बिना प्रभुत्व के संप्रभुता का दावा कर सकें।
- ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य एक स्थायी रणनीतिक संतुलन और एक ऐसा क्षेत्र बनाना है जहां राज्य स्वतंत्रता और संप्रभुता का आनंद उठा सकें।
- ऑस्ट्रेलिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, रक्षा खर्च जीडीपी के 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर रहा है, और सेना को एक उभयचर बल में परिवर्तित करते हुए अपने सतही लड़ाकू बेड़े को दोगुना करने की योजना बना रहा है।
- हाल की द्विपक्षीय यात्राओं ने चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है, जिससे "नया संतुलन" स्थापित हुआ है। मतभेदों के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया निजी तौर पर चीन के साथ समस्याओं पर चर्चा कर सकता है और अपने महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक साझेदारी के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है।

बिखरे हुए कार्यालय स्थान कोविड-पश्चात कार्य

वातावरण को पुनः आकार दे रहे हैं (7 मई)

हाइब्रिड कार्य मॉडल में वृद्धि, पूंजी बुद्धिमत्ता, पट्टों में लचीलेपन की आवश्यकता और कार्य संस्कृति में बदलाव ने लचीले स्थानों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा दिया है; उन्नत सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एक अन्य कारक है जिसने लचीले कार्यालय स्थानों में वृद्धि में योगदान दिया है।

- कोविड-19 महामारी ने भारत में कार्यालय स्थान परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।
- कार्यालयों को संचालन के नए तरीकों को अपनाना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक कार्यालय डिजाइन में नवीन विचार सामने आए हैं।

- अधिक सक्रिय और गतिशील कार्य वातावरण के पक्ष में पारंपरिक कार्यालय व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
- कोविड के बाद एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति लचीली कार्यालय व्यवस्था में वृद्धि रही है, जिसमें बड़े स्थानों को छोटे स्थानों में विभाजित किया जा रहा है।
- यह प्रवृत्ति आधुनिक कार्य संस्कृति का मुख्य अंग बन गई है, जो विविध कार्य शैलियों को समायोजित करती है तथा कार्यालय अचल संपत्ति बाजार में लचीलापन लाती है।
- हाइब्रिड कार्य मॉडल का उदय, पूंजीगत बुद्धिमत्ता में वृद्धि, पट्टों में लचीलेपन की मांग और कार्य संस्कृति में बदलाव, सभी ने लचीले स्थानों की ओर संक्रमण में योगदान दिया है।
- स्टार्टअप्स, एसएमई और बड़ी कंपनियों में लचीली रणनीतियों की मांग बढ़ी है।
- सीबीआई इंडिया रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला लचीला कार्यालय बाजार है, जिसका कुल स्टॉक लगभग 68 मिलियन वर्ग फुट है।
- टियर-II शहर लचीले स्थानों के लिए अगली सीमा के रूप में उभर रहे हैं क्योंकि वे व्यवसायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
- भारत के शीर्ष नौ शहरों को कवर करने वाली रिपोर्ट, लचीले ऑपरेटर्स से पट्टे की मांग में लगातार वृद्धि और 2018 और 2023 के बीच समग्र पट्टे में लचीले स्थानों की हिस्सेदारी का संकेत देती है, 2020 और 2021 में मामूली गिरावट के साथ।

ट्रै एफएफआई सी ईंधन प्रवृत्ति

- एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सिटी हेड और निदेशक संजय चुघ ने कहा कि कोविड-19 के बाद भारत में लचीले कार्यालय स्थानों की मांग, यातायात की बढ़ती भीड़ के कारण कर्मचारियों की बढ़ती हताशा से बढ़ी है।
- मुंबई, दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख शहरों में यातायात जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे यात्रियों का काफी समय बर्बाद होता है।
- कार्यालय तक दैनिक आवागमन तनावपूर्ण और अकुशल हो गया है, कुछ लोगों को भीड़भाड़ वाली सड़कों और भीड़ भरे सार्वजनिक परिवहन में दो घंटे तक का समय लग जाता है।
- यह लंबी यात्रा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी उत्पादकता और कार्य-जीवन संतुलन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य संस्कृति के उदय ने लचीले कार्यालय स्थानों की मांग में भी योगदान दिया है, लगभग 70% कंपनियां दैनिक आवागमन के बोझ को कम करने के लिए हाइब्रिड कार्य मॉडल को अपना रही हैं।
- भारत में मुंबई, दिल्ली और बंगलौर जैसे शहरी केन्द्र अपने ट्रैफिक जाम के लिए जाने जाते हैं, जिससे यात्रियों का काफी समय बर्बाद होता है।
- कार्यालय तक आना-जाना कर्मचारियों के लिए तनाव और अकुशलता का एक प्रमुख स्रोत बन गया है, तथा कुछ कर्मचारियों को भीड़-भाड़ वाली सड़कों और भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में यात्रा करने में दो घंटे तक का समय लग जाता है।
- यह लम्बी यात्रा न केवल व्यक्तियों पर शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ाती है, बल्कि उत्पादकता और कार्य-जीवन संतुलन को भी प्रभावित करती है।
- संजय चुघ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दूरस्थ कार्य और हाइब्रिड कार्य संस्कृति के बढ़ने से लचीले कार्यालय स्थानों की मांग बढ़ गई है।

- लगभग 70% कंपनियों ने हाइब्रिड कार्य मॉडल अपना लिया है, जिससे कर्मचारियों को दैनिक आवागमन की परेशानी से बचने में मदद मिलती है।

बेहतर बुनियादी ढांचा

- उन्नत सार्वजनिक अवसंरचना ने लचीले कार्यालय स्थानों में वृद्धि में योगदान दिया है, क्योंकि इससे पहले अविकसित क्षेत्र नए मॉल और सुविधाओं वाले व्यस्त केंद्रों में परिवर्तित हो गए हैं।
- इस परिवर्तन से केंद्रीय क्षेत्रों तक लंबी यात्रा की आवश्यकता कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक सुलभ स्थानों पर सह-कार्य स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- संजय चुघ का सुझाव है कि लचीले पट्टे मॉडल की ओर बदलाव ने सह-कार्य स्थलों को व्यापक रूप से अपनाने में तेजी ला दी है।
- सहकर्मि स्थान, जिन्हें पहले व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, अधिक लोकप्रिय हो गए हैं और जीवंत और रंगीन वातावरण में बदल गए हैं, विशेष रूप से बढ़ती पीढ़ी 2 कार्यबल के लिए।
- ये स्थान कम औपचारिक माहौल प्रदान करते हैं और समान कार्यस्थान साझा करने वाले विविध व्यवसायों और पेशेवरों के बीच नेटवर्किंग और सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं।
- एनारॉक द्वारा myHQ की एक रिपोर्ट सह-कार्य क्षेत्र में आशाजनक फंडिंग रुझानों का संकेत देती है।
- पूर्व-कोविड अवधि की तुलना में कोविड के बाद फंडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें फंडिंग का प्रवाह 3.3 गुना (₹1,400 करोड़ से ₹4,600 करोड़ तक) हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, चार में से तीन लोगों का मानना है कि 2030 तक सहकार्य स्थलों की मांग बड़े कार्यालय स्थलों की मांग से अधिक हो जाएगी।

लागत अनुकूलन

- सह-कार्यस्थल जैसी लचीली कार्यालय व्यवस्था व्यवसायों को लागत अनुकूलन का लाभ प्रदान करती है।
- व्यवसाय वास्तविक उपयोग के आधार पर स्थान और सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी बदलती जरूरतों के अनुसार आसानी से अपने पैमाने को बढ़ाने या घटाने की सुविधा मिलती है।
- दीर्घकालिक अनुबंधों वाले पारंपरिक कार्यालय पट्टों के विपरीत, लचीली व्यवस्था व्यवसायों को ऐसी निश्चित प्रतिबद्धताओं में नहीं बांधती जो उनकी बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप न हों।
- यद्यपि ग्राहकों के लिए पारंपरिक कार्यालय स्थलों और सह-कार्य स्थलों की लागत समान हो सकती है, लेकिन मुख्य अंतर पारंपरिक कार्यालय स्थलों में आंतरिक सज्जा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अग्रिम पूंजी निवेश में निहित है।
- एनारॉक द्वारा myHQ के सीईओ उत्कर्ष कवात्रा इस लागत अंतर के महत्व पर जोर देते हैं।
- श्री चुघ के अनुसार, भारत में कार्यालय स्थानों का भविष्य नवाचार, लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को प्राथमिकता देगा।
- जैसे-जैसे संगठन दूरस्थ और हाइब्रिड कार्य मॉडल अपनाते हैं, लचीले कार्यालयों की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
- यह प्रवृत्ति रियल एस्टेट डेवलपर्स, ऑपरेटरों और व्यवसायों के लिए नवीन कार्यक्षेत्र समाधान बनाने के अवसर खोलती है।
- इन समाधानों का उद्देश्य कार्यबल की उभरती जरूरतों को पूरा करना है, जो काम कैसे और कहां संचालित किया जाता है, इसकी बदलती गतिशीलता को दर्शाता है।

अकाबा की खाड़ी, जॉर्डन



बाज़ार-आधारित योजनाएँ वनों की कटाई, गरीबी को कम नहीं कर रही हैं (7 मई)

- अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन संघ (IUFRO) द्वारा प्रकाशित एक वैज्ञानिक समीक्षा से पता चलता है कि वन संरक्षण के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण, जैसे कार्बन ऑफसेट और वन-कटान-मुक्त प्रमाणन योजनाएँ, काफी हद तक विफल रही हैं।
- व्यापार और वित्त द्वारा संचालित इन पहलों से वनों की कटाई रोकने में सीमित प्रगति हुई है तथा कुछ मामलों में आर्थिक असमानता और बढ़ गई है।
- वर्षों के अकादमिक और क्षेत्रीय कार्य से तैयार इस समीक्षा में 120 देशों के 15,000 वैज्ञानिकों का सहयोग शामिल है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के एक उच्चस्तरीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बाजार आधारित दृष्टिकोणों पर "आमूलचूल पुनर्विचार" की वकालत की जाएगी।
- वनों को बचाने, वैश्विक तापमान में कमी लाने और विकासशील देशों में जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी होने के बावजूद, समीक्षा में इन तरीकों में बुनियादी बदलावों की आवश्यकता बताई गई है।
- हेलसिंकी विश्वविद्यालय की लेखिका मारिया ब्रॉकहॉस का कहना है कि सबूत पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय मुद्दों पर नीतिगत प्रतिक्रिया के रूप में अक्सर बाजार तंत्र से जुड़े लोगों के लिए "जीत-जीत" या "ट्रिपल जीत" के दावे का समर्थन नहीं करते हैं।
- रिपोर्ट में समीक्षा किए गए मामलों से संकेत मिलता है कि दशकों से बाजार तंत्र मुख्य नीति विकल्प होने के बावजूद दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी और वन हानि जारी है।

- 2010 में IUFRO द्वारा अंतिम मूल्यांकन के बाद से, जटिल और अतिव्यापी बाजार-आधारित योजनाओं में वृद्धि हुई है।
- वित्तीय अभिनेता और शेयरधारक अक्सर दीर्घकालिक न्यायसंगत और टिकाऊ वन प्रशासन के बजाय अल्पकालिक मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रमुख लेखक कॉन्स्टेंस मैकडरमोट का सुझाव है कि हालांकि व्यक्तिगत सफलता की कहानियां हो सकती हैं, कुल मिलाकर, वन संरक्षण के लिए बाजार-आधारित दृष्टिकोण अत्यधिक सफल नहीं रहे हैं।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 120 मिलियन डॉलर की एक परियोजना ने शक्तिशाली खनन व्यवसायों द्वारा कटाई को संबोधित किए बिना जंगलों तक स्थानीय पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे मजबूत हितों को बल मिला।
- मलेशिया में, स्वदेशी समूहों ने अपनी भूमि पर विदेशी समर्थित वृक्षारोपण उद्यम से बेहतर आजीविका का वादा किया था, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला।
- सुथ्री ब्रॉकहॉस इस बात पर जोर देती हैं कि कई मामलों में, वन हानि का लाभ कहीं और प्राप्त होता है जबकि स्थानीय समुदाय इसका बोझ उठाते हैं।
- घाना में, स्थायी कोको मानकों, कॉर्पोरेट प्रतिज्ञाओं और कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं के बावजूद, वनों की कटाई की दर बढ़ गई है, और किसान आज दशकों पहले की तुलना में कम कमाते हैं।
- धनी देशों द्वारा लागू की गई हरित व्यापार नीतियां, जैसे वनों की कटाई से जुड़े आयात पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध, इसके दुष्प्रभावों पर विचार नहीं करतीं, जिससे जवाबदेही संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
- सुथ्री मैकडरमोट ने जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विफलताएं या नकारात्मक परिणाम सीधे तौर पर धनी देशों के उपभोक्ताओं को प्रभावित नहीं करते हैं, जिन्हें इन नीतियों से लाभ मिलता है।

आमूलचूल पुनर्विचार

- हाल की चुनौतियों के बावजूद, कार्बन बाजार में उल्लेखनीय विस्तार होने की उम्मीद है, तथा यह अरबों डॉलर का उद्योग बन जाएगा।
- कंपनियां अपने शुद्ध-शून्य जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन क्रेडिट का उपयोग तेजी से कर रही हैं।
- ये क्रेडिट अक्सर विकासशील देशों में उन परियोजनाओं से खरीदे जाते हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं या रोकते हैं।
- उदाहरणों में CO₂-अवशोषित करने वाले वर्षावनों या पीट दलदलों को संरक्षित करने पर लक्षित परियोजनाएं शामिल हैं।
- केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो अफ्रीका के कार्बन सिंक को एक "द्वितीय आर्थिक सोने की खान" के रूप में देखते हैं, जो प्रतिवर्ष अरबों डॉलर उत्पन्न करने में सक्षम है।
- इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि इस राजस्व का कितना हिस्सा गरीब समुदायों को लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि कुछ लोगों पर शोषण का आरोप है।

अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन संघ (IUFRO) वन विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के लिए समर्पित शोधकर्ताओं और संगठनों के लिए दुनिया का अग्रणी नेटवर्क है। आधिकारिक स्रोतों के आधार पर इसके प्रमुख पहलुओं का विवरण इस प्रकार है:

उद्देश्य:

- वन-संबंधी अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

- वनों और उनके सतत प्रबंधन से संबंधित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना।

संरचना:

- स्वैच्छिक, गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी और गैर-भेदभावपूर्ण संगठन, 1892 में स्थापित।
- मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- 115 से अधिक देशों के 630 से अधिक सदस्य संगठनों और सैकड़ों व्यक्तिगत शोधकर्ताओं की सदस्यता।
- **गतिविधियाँ:**
- वैज्ञानिक बैठकें, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करता है।
- विभिन्न देशों और विषयों के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।
- वैज्ञानिक पत्रिकाएँ और रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मानकों और पद्धतियों का विकास करना।

महत्व:

- वनों और पर्यावरण में उनकी भूमिका की वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- टिकाऊ वन प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान विकसित करने में योगदान देता है।
- शोधकर्ताओं को ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

यूरोप की धुर दक्षिणपंथी पार्टियों ने ईयू छोड़ने की योजना छोड़ी (7 मई)

अब तक छोड़ने वाला एकमात्र देश बना हुआ है

- कभी यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ने को लेकर मुखर रहीं धुर दक्षिणपंथी पार्टियों ने अपना रुख बदल लिया है।
- यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की योजनाओं को प्राथमिकता देने के बजाय, ये पार्टियाँ अब मुख्यधारा के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आप्रवासन जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- फोकस में यह बदलाव 6 से 9 जून तक हुए यूरोपीय संसद चुनावों के दौरान देखा गया।
- यूरोसेप्टिक विचारों को बनाए रखने के बावजूद, कई दूर-दराज़ दलों ने यूरोपीय संघ छोड़ने के बारे में अपने कट्टरपंथी प्रवचन को छोड़ दिया है।
- ब्रुगेस स्थित यूरोप कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर थिएरी चोपिन ने अति-दक्षिणपंथी दलों की रणनीति में आए इस परिवर्तन पर प्रकाश डाला।
- 2016 में ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन ने 2020 की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ (ईयू) छोड़ दिया।
- गीर्ट वाइल्डर्स के नेतृत्व वाली नीदरलैंड की फ्रीडम पार्टी (पीवीवी) ने नवंबर में हुए राष्ट्रीय चुनावों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।
- सर्वेक्षणों से पता चलता है कि नीदरलैंड में आगामी यूरोपीय चुनावों में पीवीवी का प्रदर्शन अच्छा रहने की संभावना है।
- नवंबर चुनाव के लिए पीवीवी के घोषणापत्र में नेक्सिट (Nexit) पर बाध्यकारी जनमत संग्रह का आह्वान शामिल था, अर्थात् नीदरलैंड का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना।
- हालाँकि, पार्टी के यूरोपीय घोषणापत्र में नेक्सिट जनमत संग्रह का उल्लेख नहीं है।

- इसके बावजूद, यूरोपीय घोषणापत्र दृढ़ता से यूरोसेंट्रिक बना हुआ है, जिसमें यूरोपीय सुपरस्टेट के विचार के विरोध पर जोर दिया गया है तथा यूरोपीय संघ के भीतर सुधारों की वकालत की गई है।
- फ्रांस की नेशनल रैली के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने का कोई इरादा नहीं है, जैसा कि मार्च में जारी उनके पार्टी घोषणापत्र में कहा गया था।
- , दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) पार्टी की सह-नेता एलिस वीडेल ने कहा कि ब्रेक्सिट जनमत संग्रह यूरोपीय संघ के सबसे अधिक आबादी वाले देश जर्मनी के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।
- स्वीडन डेमोक्रेट्स के नेता जिमी एकेसन और एमईपी चार्ली वीमर्स ने फरवरी में एक प्रेस ऑप-एंड में कहा था कि स्वीडन अंतिम उपाय के रूप में ईयू छोड़ने को तैयार है। पार्टी, जो पहले " स्वेक्जिट " के पक्ष में थी, ने प्रधान मंत्री उल्फ क्रिस्टरसन की सरकार का समर्थन करने के बावजूद, अपर्याप्त सार्वजनिक समर्थन के कारण 2019 में इस विचार को छोड़ दिया।
- नवंबर 2023 में, वारसॉ, पोलैंड में हजारों दूर-दराज़ समर्थकों ने " पोलेक्सिट " का आह्वान किया, जो पोलैंड के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की इच्छा को दर्शाता है।

ब्राज़ील को हराया (7 मई)

- ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे का हवाई सर्वेक्षण किया।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य मूसलाधार तूफान के कारण आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करना था।
- अधिकारी बाढ़ के बाद आगे की त्रासदी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 66 लोगों की जान चली गई।
- बाढ़ से पहले ही इस क्षेत्र में काफी क्षति और जानमाल का नुकसान हो चुका है।
- राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की यात्रा आपदा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया और इसके प्रभाव को कम करने के प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

